CIFA-R1.11 00

FIRST INFORMATION REPORT

मदर्द

(Under Section 154 Cr.P.C.)

1. District: REWARI P.S.: MODEL TOWN REWARI Year: 2015 FIR No.: 528 Date: 15-09-2015

2. Act(s): Section(s):
   (i) IPC 1860 — 420/464/467/468/471/120B/217/218/167/166
   (ii) INFORMATION TECHNOLOGY ACT 2000 — 43/65/66/71/72
   (iii)
   (iv)

3. Occurrence of Offence:
   (a) Day: Monday Date From: 08-06-2015 Date To: 08-06-2015
   Time Period: Time From: 15:32 hrs Time To:
   (b) Information received at P.S: Date: 15-09-2015 Time: 19:10 hrs
   (c) General Diary Reference: Entry No.: 38 Time: 19:10 hrs

4. Type of Information: WRITTEN

5. Place of Occurrence:
   (a) Direction and Distance from P.S: West/1.0 Km. Beat No.: 26
   (b) Address: MINI SECTRETRIAT REWARI, PS MT RWR
   (c) In case, Outside the limit of the Police Station:
   Name of P.S: District:

6. Complainant/Informant:
   (a) Name: RAO DHANBEER SINGH (S/O) RAO DESHRAJ SINGH
   (b) Birth Year: Nationality: INDIA
   (c) Passport No. Date of Issue: Place of Issue:
   (d) Occupation:
   (e) Address: HOUSE NO 21 40 HOUSING BOARD RAM SINGHPURA KOTPUTLI DISTT JAIPUR RAJ.

7. Details of Known/Suspect/Unknown accused with full particulars(attach separate sheet if necessary):
   (i) VIRENDER SINGH SAINI
   (R/O)DSP HQ REWARI
   (ii)
   (iii)

8. Reason for delay in reporting by the complainant/informant: NO DELAY

9. Particulars of the properties stolen/involved(attach separate sheet if necessary):

Sl.No.	Property Type(Description)	Est. Value(Rs.)	Status
(i)			
(ii)			
(iii)			

10. Total value of property stolen:

11. Inquest Report/U.D Case No., if any:

12 . F.I.R Contents(attach separate sheet,if required):

क्रमांक- आरएओ/सू/.अ/2015/194 स्वा मे श्रीमान सहायक पुलिस अधीक्षक महोदय,कोटपुतली जिला जयपुर ग्रामीण। विषय-श्रीमान विरेन्द्र सिहं सैनी (एचपीएस) लोक सुचना अधीकारी एवं उपाधीक्षक पुलिस (मुख्यालय) रेवाड़ी हरियाणा व अन्यो द्वारा स्वंम को सदोष लाभ लेने व प्रार्थी को सदोष हानि के लिए जानबुझकर ,अधुरी, गलत, कुटरहित सूचना देने की एफ.आई.आर. अन्तर्गत धारा 154(1) सी.आर. पी. सी. मे दर्ज कर निसमअनुसार कार्यवाही करने के विषय मे।महोदय उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी ने दिनांक 06.05.2015 को एक आवेदन सुचना अधिकारी की धारा 6(1) के तहत नियमअनुसार श्रीमान विरेन्द्र सिह सैनी (एचपीएस) लोक सूचना अधिकारी एवं उपाधीक्षक पुलिस (मुख्यालय) रेवाड़ी हरियाणा को पेश कर (क) जिला रेवाड़ी पुलिस द्वारा सन 2005 से अब तक कितने चालान न्यायालय मे पेश किये है।उक्त पेश शुदा चालानो पर अदालत से आरोपीयो को कुल कितने केसो मे सजा तथा कुल कितने बरी हुए का वर्षवार विवरण,(ख) उक्त आरोपी हरी होने या चार्ज नही लगने पर किन किन अनुसंधान अधीकारियो के विरूध कार्यवाही की गई का विवरण (ग) उक्त सन. 2005 से आज दिनांक तक नियम अनुसार अनुसंधान नही करने ,गल्त अनुसंधान करने पर किन किन पुलिस कर्मीको / अधीकारियो के विरूध विभागिय कार्यवाही कि गई का सम्पुर्ण विवरण कार्यालय,पुलिस अधिक्षक जिला रेवाड़ी से चाही थी।,जिसके लोक सुचना अधिकारी कार्यालय ,प्राप्ती सख्यां 703 दिनांक 6.05.2015 पी.आई.ओ है। मगर श्री विरेन्द्र सैनी लोक सुचना अधिकारी एवमं उप पुलिस अधिक्षक व अन्य द्वारा दिनांक 8.06.2015 को जरिये मेल आईड़ी sprwrrti@gmail.com से अपालार्थी कि मेल आईड़ी raodhanbeersingh@gmail.com पर समय 03.32 साय को उक्त मेल प्राप्त हुआ जिसके बिन्दू 2 मे लोक सुचना अधिकारी द्वारा लिखा गया कि "इस कार्यलय के पत्र क्रमांक 703 पी.आई.ओ दिनांक 6.07.2015 के संदर्भ मे आपके द्वारा चाही गई सुचना तैयार हो चुकी है जिसके 24 पेज बनते है । अत आप कभी भी कार्य दीवस को कार्यालय मे आकर सुचना प्राप्त कर सकते है ,जो पुलिस अधिक्षक की अधीकृत्र की मेल आईड़ी भी नही है।उक्त चाही गई सुचना श्री लोक सुचना अधिकारी आवमं उप पुलिस अधिक्षक(मुख्यालय) रेवाड़ी हरियाणा कार्यलय के पत्र सख्या 2483 दिनांक 8.06.15 के जरिये सपीड़ पोस्ट NO.CH0107712781N dt.18/06/2015 के द्वारा प्रार्थी के नि. मकान न. 2 आई 40 हाऊसिगं बोर्ड कोटपुतली जिला जयपुर ग्रामिण राज पिन 303108 पर लोक सुचना अधिकारी एवमं उप पुलिस अधिक्षक (मुख्यालय) रेवाड़ी के दो (2) पत्र एक ही पत्र सख्या 2483 एक ही दिनांक 8.06.2015 के जारी किये पत्र के साथ 18 पेज प्राप्त हुये (एक पत्र सख्या 2483 दिनांक 8.06.2015 मे18 पेज दिखाये गये तथा दुसरे पत्र सख्या दिनांक 08.06.2015 मे 37 पेज दिखाये गये है जो प्रार्थी को नही दिये गये । जरिये मेल से 24 पेज एक पत्र 2483 दिनांक 08.06.2015 से 37 पेज व दुसरे पत्र 2483 दिनांक 08.06.2015 18 पेज" जो अनेक्सर 1,2 व 3 सल्गन है। जब कि ताही गई बिन्दु सख्या के 18 पेज प्राप्त हुये वो सम्बधीत शाखा (CRC BRINCH)से दिनांक 10.06.2015 को तैयार हुई है तो श्रीमान लोक सुचना अधीकारी एवमं उप पुलिस अधिक्षक (मुख्यालय) रेवाड़ी दिनांक 08.06.2015 को केसे प्रदत्त कर सकता है। प्रार्थी द्वारा चाही गई सुचना को जान बुझ कर ,बेईमानी पुर्वक आश्य,गलत आश्य,(मेला फाईड़ ईन्टेंशन) रजींशवश नही देकर प्रार्थी के साथ धोखा धड़ी कि है। अपने आप व अन्य को सदोष लाभ पहुचाने तथा प्रार्थी को सदोष हानी पहुचाने के लिए पद का दुरूपयोग कर स्वीय लाभ प्राप्त किया है।श्री विरेन्द्र सिह सैना लोक सुचना अधिकारी ने प्रार्थी को उक्त चाही गई सुचना से वचिंत करने का कृत अपराधिक कार्यवाही कि श्रेणी मे आता है ।श्री विरेन्द्र सैनी लोक सुचना अधिकारी एवमं उप पुलिस अधिक्षक (मुख्यालय) रेवाड़ी हरियासणा ने चाही गई सुचना प्रार्थी को सदोष हानिकारित करने के लिए नही दिया ।चाही गई सुचना प्रार्थी को सदोष हानि एवमं स्वम को सदोष लाभ लेने के लिये गल्त नियतसे जान बुझ कर नही दी। जो चाही गई पुर्ण सुचना कार्यालय पुलिस अधिक्षक जिला रेवाड़ी पर आवेदन दिनांक 06.05.2015 को उपल्बध थी। श्री विरेन्द्र सैना लोक सुचना अधिकारी रेवाड़ी का उक्त कृत धारा 420/464/467/468/471/120बी/217/218/167/166 भा. द. स. व 43/65/66/71/72 सुचना तकनिकी अधिनियम 2002 का सज्ञंय (Cognizable) अपराध की श्रेणी मे आता है। माननीय सुचना आयोग ने रमेश मदान वि. सहरी विकास मत्रांलय मे कहा है कि सुचना दिये जाने से जान बुझ कर इंकार किया जाना अपराध की श्रेणी मे आता है। तथा डा. सी. सुरेश वि. हुड़को हैदराबाद मे साफ साफ कहा है कि "अभिलेखो को छुपाया जाना अपराधिक कृतय होने से आयोग के क्षेत्राधिकार मे नही आता है "श्री विरेन्द्र सैनी लोक सुचना अधिकारी एवमं उप पुलिस अधिक्षक(मुख्यालय) रेवाड़ी हरियाणा व अन्य द्वारा गल्त नियत से जान बुझ कर सुचनाओ को उपल्बध नही करवाना अपराधिक कृतय है। जो उक्त कृत्य अपराधिक कृत्य की क्षेणी मे आता है। इसलिये अधिनियम की धारा 21 सदभावना मे की गई कार्यवाही मे सरंक्षण श्री विरेन्द्र सैनी लोक सुचना अधिकारी एवमं उप पुलिस अधिक्षक (मुख्यालय) रेवाड़ी हरियाणा व अन्यो के उक्त कृत्य पर लागु नही होती है। उक्त कृत्य अपराधिक कृत्य होने से अधिनियम की धारा 23 न्यायालयो की अधिकारीता का वर्जन भी लाग् नही होती है। श्री विरेन्द्र सैनी लोक सूचना

अधीकारी ऐवमं उप पुलिस अधिक्षक (मुख्यालय) रेवाड़ी हरिया णा व अन्य द्वारा जान हुझ कर लोक सुचना नही देने के कारण आवेदक को नियम अनुसार देह सुचना से वचिंत रहना पड़ा है। उक्त कृतय लोक सेवक के पदीय कर्तव्यो (Discharge of Official duties) के अन्तर्गत नहीं आता अत आरोपीत को धारा 197 दण्ड प्रकिया सहिता का लाभ नही मिल सकता। आवेदक द्वारा चाही गई सुचना को जान बुझ कर ,अधुरी,गलत,कुटरचित बेईमानी पुर्व आश्य,गलत आश्य ,रजिंश वशं(मेलाफाईड़ ईटेसंन) नहीं देकर आवेदक के साथ धोखा धड़ी की है। अपने आप वअन्यो को सदोष लाभ पहुचाने तथा आवेदक को सदोष हानि पहुचाने के लिए पद का दुरूपयोग कर स्वीय लाभ प्राप्त किया है।उक्त चाही गई सुचना ,कुटरचित, जानबुझकर , गलत, अधुरी सुचना जरिये मेल,व जरिये स्पीड़ पोस्ट प्रार्थी के नि. मकान न. 2 आई 40 हाऊसिगं बोर्ड़ कोटपुतली जिला जयपुर ग्रामिण राज. पिन 303108 प्राप्त होने पर थाना कोटपुतली जिला जयपुर ग्रामिण के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है।अत: माननीय सर्वोचय न्यायलय द्वारा ललिता कुमारीबनाम उ.प्रदेश मे दिये गये दिशा निर्देशो को मध्य नजर रखते हुये उपरोक्त आरोपीगणो के विरूध प्रथम सुचना रिपोर्ट धारा 154 (1) सी.आर.पी. सी के अन्तर्गत दर्ज करने नियमानुसार कानुनी कार्यवाही करने का श्रम करे। स्थान -कोटपुतली दिनांक 13.09.2015 SD RAO DHANBEER SINGH प्रार्थी राव धनबीर सिहं (आर.टी.आई. कार्यकर्ता) राव धनबीर सिहं पुत्र श्री राव देशराज सिहं नि. मकान न. 2 आई 40 हाऊसिगं बोर्ड़ कोटपुतली जिला जयपुर ग्रामिण राजस्थान पिन.303108 मो. न. 09799648181,09928779775 ई-मेल raodhanbeersingh@gmail.com प्रतिलिपि-थाना कोटपुतली जिला जयपुर ग्रामिण की सेवा मे आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।सल्गन-1.श्रीमान लो. सु.अ.के दो(2) पत्रांक 2483 दिनांक 08.06.2015 ,2.दिनांक 08.06.2015 को जरिये मेल आईडी sprwrrti@gmail.com की छाया प्रति।3.ललिता कुमारी बनाम उ. प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशो की छाया प्रतिया ।नोट अन्य तथ्य व साक्ष्य वरवक्त अनुसंधान पेश कर दुगां। चुकी अन्य तथ्यो वा साक्ष्यो का नष्ट होने का ड़र है।...कार्यवाही पुलिस-.... प्रमाणित किया जाता है कि उक्त टाईप शुदा रिपोर्ट तहरीरी श्रीमान वक्ताधिकारी कोटपुतली की टिप्पणी शुदा श्री राव धनबीर सिंह s/o श्री देशराज सिहं R/o मकान न. 2 आई 40 हाऊसिहं बोर्ड़ कोटपुतली PS KTP जिला जयपुर ने उपस्थित थाना होकर पेश की मजबुन रिपोर्ट वा दरियाफत मुस्तगीस से मामला अपराध धारा 420/464/467/468/471/120बी/217/218/167/166 IPC व 43,65,66,71,72 सुचना तकनिकी अधिनियम 2002 का वक्त मे आना पाया जाता है जिसकी नकल कम्प्युटर मे सीपा मे अक्षर श:की गई मजीद दरियाफत पर परिवादी ने कोर्ट मे घटना का क्षेत्राधिकार पुलिस थाना माड़ल टाऊन रेवाड़ी जिवा रेवाड़ी हरियाणा को होना बताया व रिपोर्ट मे भी उक्त स्थान पर घटना घटीत होना पाया गया है। अत: बिना नम्बरी FIR धारा उपरोक्त मे किता की जाकर अग्रीम कार्यवाही हेतु पुलिस थाना माड़ल टाऊन रेवाड़ी जिला रेवाड़ी हरियाणा को बदस्ती कानि. शेर सिहं N-878 के साथ भिजवाई जा रही है प्रतिया FIR नियम अनुसार जारी की गई है।SD BRIJMOHAN SI I/C PS कोटपुतली जिला जयपुर ग्रामिण समय 3.55 PM 13.09.15 रपट 803 अज थाना- आज एक पत्र क्रमांक न. 6532 दिनांक 14/09/2015 कार्यालय पुलिस अधिक्षक महोदय रेवाड़ी से प्रथम सुचना रिपोर्ट शुन्य FIRरिपोर्ट न. 9 दिनांक 13/09/2015 थाना कोटपुतली जिला जयपुर ग्रामिण बर दरखास्त राव धनबीर सिहं पुत्र राव देशराज निवासी मकान न. 21 ,40 हाऊसिगं बोर्ड़ रामसिहंपुरा कोटपुतली जिला जयपुर राजस्थान मुकदमा दर्ज करने बारे बजरिया ड़ाक थाना पर प्राप्त होने पर शुन्य FIR मे दर्शाई हुई धारा 420/464/467/468/471/120बी/217/218/167/166 IPC व 43,65,66,71,72 सुचना तकनिकी अधिनियम 2002 थाना कोटपुतली के अनुसार मुकदमा न.528 दिनांक 15.09.15 धारा 420/464/467/468/471/120बी/217/218/167/166 IPC व 43,65,66,71,72 सुचना तकनिकी अधिनियम 2002 थाना माड़ल टाऊन मे दर्ज रजिस्टर किया जाकर FIR की प्रतियाँ कम्पयुटर द्वारा तैयार की गई। जो बजरिया डाक अफसरान बाला पुलिस वा ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब की सेवा में भेजी जावेगी। मिशल मुकदमा आगामी तपतीश हेतु ASI ब्रहमजीत I/C PP SEC 3 REWARIके पास हस्ब आदेश SHO साहब फोन पर बात करके बदस्त आरिन्दा C योगेश कुमार 1109 के भिजवाई जा रही है।

13 . Action Taken(Since the above information reveals commission of offence(s)u/s as mentioned at item No.2:

(i) Registered the case and took up the investigation OR

(ii) Directed(Name of the I.O): BHARMJIT Rank: ASI
No.: 00000343 to take up the investigation, OR

(iii) Refused investigation due to:

OR

(iv) Transferred to P.S(name): District:
on point of jurisdiction.

F.I.R read over to the complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant, free of cost:

R.O.A.C:

14 .

Signature / Thumb Impression
of The Complainant/Informant:

Signature of Officer
Name: KABUL SINGH
Rank: ASI No.: 00036055

15 . Date and Time of despatch to the court: